UPAU010005952010

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, औरैया।

पीठासीन अधिकारीः कैलाश कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code UP1684

ST No. 117/2014

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

(अभियोजन–श्री अरविन्द राजपूत)

प्रति

01–राहुल पुत्र वंशी सिंह, उम्र 40 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी पछैया मुहाल बनारसीदास, थाना कोतवाली व जिला औरैया।

02–मुकेश पुत्र जगदेव, उम्र 45 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी भोजपुर, थाना कादरचौंक व जिला बदायूं।

..................................**अभियुक्तगण।**

(अभियुक्त राहुल के अधिवक्ता– श्री सुनील कुमार दुबे)

(अभियुक्त मुकेश के अधिवक्ता– श्री रविन्द्र राजपूत)

मुकदमा अपराध संख्या–307/2010

धारा–60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं०

थाना–औरैया, जनपद–औरैया।

निर्णय

1. अभियुक्तगण **संतोष, मुकेश, राहुल व बालूजी** का सत्र परीक्षण संख्या 117/2014, मुकदमा अपराध संख्या–307/2010, थाना औरैया, जिला औरैया के मामले में धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए विचारण किया गया है।

2. **वादी मुकदमा उपनिरीक्षक एस०आई० मो० मुस्लिम खां** ने थाना औरैया में दिनांक 16.07.2010 को लिखित फर्द इस आशय की दी है कि "आज दिनांक 16.07.2010 को मैं SOG प्रभारी SI मो० मुस्लिम खां मय HC19DP अमर सिंह, C–328 सुरेश चन्द्र C–150 रामबहादुर मय वाहन सरकारी टाटा स्पेसिओ नं० UP 79 G 0002 के थाना कोतवाली औरैया से रपट नं० 10 पर वास्ते रोकथाम जुर्मजरायम के रवाना होकर दीक्षित होम्योपैथिक नारायनपुर के

Digitally signed by KAILASH KUMAR
Date: 2026.07.22 13:53:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सामने पहुंचे। यहां पूर्व में हस्वतलब एसआई सभाजीत पाण्डेय, C 471 अजबेश कुमार, C 282 पदमकांत तिवारी मिले। मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि चार व्यक्ति बनवारी कंजर के मकान की उत्तरी दीवार की आड़ में तालाब के किनारे कच्ची शराब बना रहे हैं, इस पर विश्वास करके हम पुलिस वालों ने गवाहन फराहम करने का प्रयास किया, परंतु भलाई बुराई के डर से जनता का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताएं चले गए। मजबूरीवश हम पुलिस वालों ने आपस में मैं मुखबिर के जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। हम पुलिस वालों में मुखबिर के साथ मुखबिर के बताए अनुसार सुरेश चंद्र के मकान की आड़ में पहुंचे। मुखबिर ने हम पुलिस वालों को इशारा करके दिखाया व बताया तो बनवारी कंजर के मकान की उतरी दीवार की आड़ में चार व्यक्ति नाजायज कच्ची शराब बना रहे थे। जिसमें एक व्यक्ति के पास बैठा पिपिया पकड़े था। दूसरा व्यक्ति व तीसरा व्यक्ति भट्टी में लकड़ी लगा रहा था। चौथा व्यक्ति पास रखे भगोने से लहन भट्टी के ऊपर रखे बर्तन में लहन डाल रहा था। चारों मिलकर शराब खींच रहे थे। मुखबिर दिखाकर चला गया। हम पुलिस वालों ने एक बारगी दबिश देकर घेरघार कर आवश्यक बल प्रयोग कर शराब खींच रहे उन चारों व्यक्तियों को समय 6:25 बजे सुबह पकड़ लिया। उन व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुये जामातलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम संतोष संतोष पुत्र बच्चा, निवासी–नरायनपुर कंजड बस्ती थाना कोतवाली औरैया बताया, जामातलाशी से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर सफेद द्रव्य भरा बरामद हुआ। सूंघा व हमराहियान को सुघांया गया तो उसमें कच्ची शराब की बदबू आ रही थी। दूसरे ने अपना नाम मुकेश पुत्र जगदेव निवासी–हाल पता पछ्या थाना कोतवाली औरैया मूल निवास–ग्राम भोजपुर थाना कादरचौक, बदायूं बताया। जामातलाशी से दाहिने हाथ में अधजली लकडी लिये था, जिसे मौके पर बुझाकर नष्ट किया गया। तीसरे ने अपना नाम राहुल पुत्र बंशी सिंह निवासी पछ्या मुहाल, मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली औरैया बताया। जामा तलाशी से दाहिने हाथ से अधजली लकडी बरामद हुई जिसे मौके पर बुझाया गया। चौथे ने अपना नाम बालूजी पुत्र गंगा सिंह निवासी–पछ्या मुहाल बनारसीदास औरैया बताया। जामातलाशी से दाहिने हाथ से एक भगोना में लहन लिये हुये मिला, लहन को खाली शीशी में भरकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर लिया गया, शेष लहन को मौके पर नष्ट किया गया। पास रखे प्लास्टिक के डिब्बे में लहन थी। जिसको भी मौके पर नष्ट किया गया। जलती हुयी भट्टी में पानी डालकर बुझाया गया। एक मिट्टी लगा अधमटकी जिसमें प्लास्टिक की नलकी लगभग 2 फीट लगी हुयी है एवं बड़ा पतीला एल्युमीनियम का जिसमें पानी भरा है। एल्यूमिनियम का भगोना उपरोक्त जिसमें भरकर लहन डाली जा रही थी। सभी उपकरणो को कब्जे पुलिस में लिया गया। बरामद कच्ची शराब से एक प्लास्टिक की छोटी शीशी में कच्ची शराब बत्तौर नमूना लेकर सर्वमुहर किया तथा नमूना मुहर लिया गया। शेष पिपियों में बची

कच्ची शराब को उसी पिपिया के मुँह पर सफेद रंग का कपडा बांधकर सर्वमुहर नमूना मुहर तैयार किया गया। उपरोक्त पकडें गये व्यक्तियों को उनके इस काम के सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होनें बताया कि हमलोग शराब बनाकर बेंचतें हैं, तथा तीव्रता लाने के लिये इसमें नशीली कीटनाशक दवायें डालकर बेंचते हैं। बरामद शराब व उपकरण तथा अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लिया गया। उनको उनके जुर्म से अवगत कराया गया कि तुम्हारा यह जुर्म धारा 60/63 Ex Act व 272 भा०दं०सं० की हद को पहुंचता है। दौरान गिरफतारी मानवाधिकार के आदेशों व निर्देशों एव माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफतारी मेमो तैयार किया गया। फर्द मौके पर मुझ एस०आई० ने लिखकर, पढकर, हमराहियान को सुनाकर हस्ताक्षर बनबाये जा रहे हैं। अभियुक्तगण को फर्द की एक प्रति अभियुक्तो की रजामंदी से अभियुक्त संतोष को दी गयी। गिरफ्तारी की सूचना में पहुंचकर अभियुक्तों के बताएनुसार उनके सम्बिन्धियों को भिजवाई गयी।

3. वादी मुकदमा की लिखित फर्द के आधार पर थाना औरैया, जनपद औरैया में दिनांक 16.07.2010 को समय 8.45 AM पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए अभियुक्तगण **संतोष, मुकेश, राहुल व बालूजी** के विरूद्ध दर्ज की गयी, जो पत्रावली में **प्रदर्श क 5** है।

4. दौरान विवेचना संकलित की गयी समस्त सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण **संतोष, मुकेश, राहुल व बालूजी** के विरूद्ध दिनांक 23.08.2010 को **आरोप पत्र** अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जो पत्रावली में **प्रदर्श क–8** है।

5. मामले में प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा दिनांक 23.08.2010 को अभियुक्तगण **संतोष, मुकेश, राहुल व बालूजी** के विरूद्ध धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० में मामले का प्रसंज्ञान लिया गया।

6. दिनांक 18.07.2014 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा अभियुक्तगण **संतोष, मुकेश, राहुल व बालूजी** को तलब करने के उपरान्त धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन कर मामला विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया।

7. मामला सत्र सुपुर्द होने के उपरान्त सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2014 को अभियुक्तगण को सुनकर अभियुक्तगण **संतोष, मुकेश, राहुल व बालूजी** के

विरूद्ध धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इनकार किया एवं विचारण की मांग की।

8. अभियुक्तगण **संतोष, मुकेश, राहुल व बालूजी** के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या	साबित किये गये प्रपत्र
01	उपनिरीक्षक मुस्लिम खां	पी०डब्लू०–01	अभियुक्त मुकेश का गिरफ्तारी **मेमो प्रदर्श क 1** अभियुक्त राहुल का गिरफ्तारी मेमो **प्रदर्श क 2** अभियुक्त संतोष का गिरफ्तारी मेमो **प्रदर्श क 3** अभियुक्त बालूजी का गिरफ्तारी मेमो **प्रदर्श क 4**
02	एस०आई० सभाजीत पाण्डेय	पी०डब्लू०–02	शराब पर **वस्तु प्रदर्श 1** पिपिया पर वस्तु **प्रदर्श 2** लहन भगौने पर **वस्तु प्रदर्श 3** भट्ठी पर चढ़ा भगोना अधमटकी जिसपर पाइप लगा हुआ था **वस्तु प्रदर्श 4** पाइप पर **वस्तु प्रदर्श 5** दो अदद पतीली एल्युमीनियम पतीली **वस्तु प्रदर्श 6 व 7** एक अदद प्लास्टिक की बोतल पर **वस्तु प्रदर्श 8** लहन की बोतल पर **वस्तु प्रदर्श 9**
03	सेवानिवृत्त ए०एस०आई० सिंहराम	पी०डब्लू०–03	प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क 5** नकल रपट सं० 35 दिनांक 16.07.2010 **प्रदर्श क 6** मूल जी०डी० विनष्ट प्रमाणपत्र **प्रदर्श क 7**
04	उपनिरीक्षक अमर सिंह	पी०डब्लू०–04	नक्शा नजरी **प्रदर्श क 7** आरोप पत्र **प्रदर्श क 8**

9. **दिनांक 18.08.2023 को अभियुक्त संतोष की मुत्यु आख्या प्राप्त होने पर उक्त मामले से उपशमित किया गया एवं दिनांक 03.05.2024 को अभियुक्त बालू जी की मुत्यु आख्या प्राप्त होने पर उक्त मामले में उपशमित किया गया।**

10. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने पर **शेष अभियुक्तगण मुकेश, राहुल** के बयान अंतर्गत धारा **313** दं०प्र०सं० दिनांक 02.07.2026 को अंकित किये गये।

11. अभियुक्तगण **मुकेश, राहुल** से बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में अभियोजन कथानक के बारे में प्रश्न किया गया तो कहा कि उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा किया गया है एवं समस्त गवाहों की गवाही झूठी बतायी व कहा कि वे पूर्णतया निर्दोष हैं, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, प्रदर्श गलत साबित कराये गये हैं एवं सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

12. अभियोजन द्वारा अपने कथन को साबित करने के लिए पी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक मुस्लिम खां को प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " मैं दिनांक 16.07.2010 को जनपद औरैया की SOG टीम का प्रभारी था। उस दिन मैं मय हमराहियान हेड का० अमर सिंह, का० सुरेशचन्द्र, का० राजबहादुर के साथ मय सरकारी टाटा स्पेसियो द्वारा थाना कोतवाली औरैया से वहवाले रपट सं० 10 पर वास्ते रोकथाम जुर्मजरायम के रवाना होकर दीक्षित होम्योपैथिक के सामने पहुंचे। वहां पर पूर्व से तलब किये गये SI श्री सआई सभाजीत पाण्डेय मय कॉ० अजबेश कुमार, कॉ० पद्मकान्त तिवारी मिले। मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि चार व्यक्ति बनवारी कंजर के मकान की उत्तरी दीवार की आड़ में तालाब के किनारे बच्ची शराब बना रहे हैं, इस पर विश्वास करके हम पुलिस वालों ने गवाहन फराहम करने का प्रयास किया, परंतु भलाई बुराई के डर से जनता का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताएं चले गए। मजबूरीवश हम पुलिस वालों ने आपस में मैं मुखबिर के जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई जुर्म से संबंधित वस्तु नहीं है। हम पुलिस वालों में मुखबिर के साथ मुखबिर के बताए अनुसार सुरेश चंद्र के मकान की आड़ में पहुंचे। मुखबिर ने इशारा करके बताया तो बनवारी कंजर के मकान की उतरी दीवार की आड़ में चार व्यक्ति नाजायज कच्ची शराब बना रहे थे। एक व्यक्ति भट्टी के पास बैठा पिपिया पकड़े था। दूसरा व्यक्ति व तीसरा व्यक्ति भट्टी में लकड़ी लगा रहा था। चौथा व्यक्ति भगोने से भरकर भट्ठी के उपर रखे बर्तन पर लहन डाल रहा था। यानि की चारों व्यक्ति कच्ची शराब नाजायज बना रहे थे। मुखबिर स्थान बताकर चला गया था। हमलोगों ने एकसाथ दबिश देकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके शराब बना रहे सुबह करीब 06.25 बजे चारों व्यक्तियों को पकड लिया। नाम पता पूछते हुये जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम संतोष पुत्र बच्चा, निवासी–

नरायनपुर कंजड बस्ती थाना कोतवाली औरैया बताया, जामातलाशी से एक प्लास्टिक की पिपिया में सफेद रंग का द्रव्य भरा था बरामद हुआ। जिसे मैंने सूंघा व हमराहियान को सुंघाया जिससे शराब की बू आ रही थी। दूसरे ने अपना नाम मुकेश पुत्र जगदेव निवासी–हाल पता पछँया थाना कोतवाली औरैया मूल निवास–ग्राम भोजपुर थाना कादरचौक, बदायूं बताया। जामातलाशी से दाहिने हाथ में अधजली लकडी लिये था, जिसे मौके पर बुझाकर नष्ट किया गया। तीसरे ने अपना नाम राहुल पुत्र बंशी सिंह निवासी पछ्या मुहाल, बनारसीदास थाना कोतवाली औरैया बताया जामा तलाशी से दाहिने हाथ से अधजली लकडी बरामद हुई जिसे मौके पर बुझाया गया। चौथे ने अपना नाम बालूजी पुत्र गंगा सिंह निवासी–पछ्या मुहाल बनारसीदास औरैया बताया। जामा तलाशी से एक भगोना में लहन लिये हुये मिला। लहन को एक खाली शीशी में भरकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर लिया गया, शेष लहन को विनष्ट किया गया। पास में रखे एक प्लास्टिक के डिब्बे में भी लहन भरा हुआ था उसे भी मौके पर विनष्ट किया गया। भट्टी को पानी डालकर बुझाया गया। एक मिट्टी लगा अधमटकी जिसमें प्लास्टिक की नलकी लगी हुई है। एक पतीली एल्युमिनियम जिसमें पानी भरा हुआ है। एक भगोना जिससे भरकर लहन डाली जा रही थी। सभी उपकरणो को पुलिस कब्जे में लिया गया। बरामदशुदा कच्ची शराब में से एक प्लास्टिक की छोटी शीशी में कच्ची शराब लेकर सर्वमुहर किया गया तथा नमूना मुहर तैयार किया गया। शेष पिपियों में बची कच्ची शराब को उसी पिपिया में रखकर मुंह बांधकर सर्वमुहर नमूना मुहर तैयार किया गया। पकडें गये व्यक्तियों से शराब बनाने के संबंध में पूछा गया तो बताया गया कि हम लोग शराब बेचने का व्यापार करते हैं। इसमें तीव्रता लाने के लिये नशीली कीटनाशक दवायें मिलाकर बेंचते हैं। चारों अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुये उनके जुर्म से उन्हें अवगत कराते हुये उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया तथा गिरफतारी मेमो तैयार किया गया था। पत्रावली पर संलग्न का०सं० 7क/1 ता 7क/4 क्रमशः अभियुक्तण मुकेश, राहुल, संतोष व बालूजी के गिरफ्तारी मेमो हैं। इस मेरे हस्ताक्षर है व अभियुक्तों के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा है। इस पर क्रमशः **प्रदर्श क 1, प्रदर्श क 2, प्रदर्श क 3, प्रदर्श क 4** डाला गया। बरामदशुदा उपकरणों को कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द को मौके पर मैने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर पढ़कर सुनाया व हमराहियान व गवाहों के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की एक नकल अभियुक्तगण को दी गयी थी। एवं फर्द पर अभियुक्तगण के निशानी अगूंठा व बनवाये थे। पत्रावली पर कागज सं० 4क/4 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही फर्द है जो मौके पर मैंने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी जिसकी शिनाख्त करता हूं। घटनास्थल पर सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात हम लोग मय माल व मुल्जिम के कोतवाली औरैया पर आये। फर्द बरामदगी के आधार पर मैंने अभियुक्तगण के

खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। बरामदशुदा माल को दीवान जी को सुपुर्द कर मालखाने में दाखिल किया गया था।

13. **साक्षी पी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक मुस्लिम खां /वादी मुकदमा से बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि** " दिनांक 16.7.10 को मैं अन्य पुलिस कर्मचारीगण वास्ते रोकथाम जुर्म जरायम के थाने से रवाना हुआ था। दूसरा हवाला मैंने थाने की जीडी पर रपट संख्या 10 में इंद्राज किया था। थाने से मैं मिलाकर चार लोग चले थे। मुझे यह बात ध्यान नहीं है कि दीक्षित होम्योपैथिक के सामने किस रास्ते से होकर पहुंचे थे। मुझे यह जानकारी नहीं है जहां पर मुखबिर ने मुझे सूचना देना बताया था वह स्थान दीक्षित होम्योपैथिक के सामने सड़क का था। मुझे यह ध्यान नहीं है कि जब मुखबिर ने मुझे सूचना दिया था तब मैं गाड़ी के नीचे उतरा था या गाड़ी पर ही बैठा था। यह भी मुझे ध्यान नहीं है कि कोई भी कर्मचारी जीप से नीचे उतरा था या नहीं उतरा था। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि जब मुखबिर ने मुझे सूचना दिया था उस समय क्या समय हो रहा था। मैंने वहां पर कोई सूचना मेमो तैयार नहीं किया था और ना ही किसी पुलिस कर्मचारियों ने सूचना मेमो तैयार किया था। मुझे यह ध्यान नहीं है की सूचना वाले स्थान से किस दिशा में होते हुए घटनास्थल पर पहुंचे थे। जितने लोग थाने से चले थे उनके अलावा तीन अन्य पुलिसकर्मी भी सूचना स्थल से साथ में सुरेश के मकान तक आए थे। यह तीन पुलिस वाले सूचना स्थल पर ही हम एसओजी टीम पुलिस कर्मियों को मिले थे। इन तीन पुलिस कर्मियों को पूर्व में तलब किया गया जो मैंने बुलाया था। यह ध्यान नहीं है कि मैंनेतलब किया था या फोन से या किसी को सूचना हेतु भेजा था। यह कहना गलत है कि मैं याद न होने वाली बात बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं दीक्षित होम्योपैथिक दुकान के सामने गया ही न हो और न ही मुझे मुखबिर खास ने कोई सूचना दी हो। हम सभी साथ साथ सूचनास्थल में मकान के पास पहुंचे थे। ये तीन लोग जो आये थे वह हमराही जीप पर ही बैठकर सुरेश के मकान के पास पहुंचे थे। ये तीन लोग सूचना स्थल तक किस साधन से आये थे मुझे ध्यान नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि इन तीनों लोग के आने पर हम लोग जीप से उतरे या नहीं उतरे। हम लोगों ने गाड़ी को सुरेश के मकान के पास छोड़ दी थी। मैंने विवेचक को गाडी छोडने वाली जगह नहीं दिखायी थी। क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था। वह रास्ता जहां पर गाड़ी छोडी थी वह रास्ता पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। मुखबिर ने जहां से इशारा करके बताया था उसके पूरब में सड़क सीधी जा रही थी और पश्चिम पर भी सीधी सड़क जा रही थी। मुझे ध्यान नहीं है कि बनवारी कंजड के मकान का दरवाजा किस दिशा में है। जहां पर मुल्जिमान लोग थे उनके दक्षिण दिशा में बनवारी कंजड का मकान था। मुल्जिमान खुले में थे जहां पर मूल्यवान थे उनके उत्तर में खाली जगह व तालाब था जहां से मुझे मुखबिर ने बताया था। जहां पर

बनवारी कंजड का मकान है कितनी दूरी पर है मुझे ध्यान नहीं है। सुरेश के मकान की उत्तरी दीवार की आड़ में छिपकर देखा था। सुरेश के मकान से कितनी दूरी पर पूरब की तरफ में था मुझे ध्यान नहीं है। सुरेश के मकान से बनवारी कंजड के मकान तक आसपास खाली जगह पड़ी है या नहीं पड़ी है मुझे ध्यान नहीं है। सुरेश के मकान के चारों तरफ आबादी है या नहीं है यह बात मुझे ध्यान नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि सुरेश चंद्र के मकान के आसपास बनवारी कंजड के मकान के आसपास और मकान बने हैं या नहीं बने हैं मुझे ध्यान नहीं है। मुखबिर के बताने के बाद पहुंचने पर घटनास्थल की पूरी कार्यवाही में कितना समय लगा मुझे ध्यान नहीं है। गिरफ्तारी बरामदगी की पूरी कार्यवाही के दौरान हम पुलिस के सभी लोग वही पर रहे थे। बरामद माल आज मेरे सामने नहीं है। एक फर्द तैयार की थी यह बात मुझे ध्यान नहीं है। फर्द किसमें रखकर लिखी थी मुझे याद नहीं है। फर्द तैयार की थी गिरफ्तारी मीमो व नमूना मूहर भी तैयार किये थे। हम लोग मुल्जिमान को गाड़ी में बिठाकर ले गये थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से कोई बरामदगी शराब व शराब के उपकरण व लहन की कोई चीज बरामद न हुयी हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों की कोई गिरफ्तारी न हुयी हो बल्कि गिरफ्तारी व बरामदगी फर्जी दिखायी हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमानों को सायंकाल 15.07.2010 को पकड़कर थाने पर लाया गया हो और अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए उनकी गलत गिरफ्तारी व फर्जी बरामदगी दिखायी हो। यह कहना भी गलत है कि सारी लिखा पढ़ी थाने पर बैठकर की गयी हो और मुल्जिमानों उक्त अपराध में फर्जी चालान किया हो।

14. **अभियोजन द्वारा पी०डब्लू०–2 एस०आई० सभाजीत पाण्डेय को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि** दिनांक 16.07.2010 को थाना कोतवाली औरैया में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन SOG प्रभारी के तलब किये जाने पर मैं दीक्षित होम्योपैथिक के पास नरायनपुर पहंचा था। मेरे साथ कॉ० अजबेश कुमार, कॉ० पद्मकान्त तिवारी मौजूद थे। मेरे पहुंचने के कुछ समय बाद SOG प्रभारी मो० मुस्लिम खां मय हमराही हेड का० अमर सिंह, का० सुरेशचन्द्र, का० राजबहादुर के साथ टाटा स्पेसियो गाड़ी से पहुंचे थे। उसी समय मुखबिर खास ने SOG प्रभारी मो० मुस्लिम खां को आकर सूचना दी कि चार व्यक्ति बनवारी कंजर के मकान की उत्तरी दीवार की आड़ में तालाब के किनारे बच्ची शराब बना रहे हैं, इस पर हम लोगों ने गवाह तलाश करने का प्रयास किया, परंतु भलाई बुराई के डर से जनता का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताएं चले गए। तक हम लोगों ने आपस में मैं मुखबिर के जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि हम लोगों के पास जुर्म से संबंधित कोई वस्तु नहीं है। तक हम लोग मुखबिर के साथ मुखबिर के बताए अनुसार सुरेश चंद्र के मकान की आड़ में पहुंचे।

मुखबिर ने उतरकर आड़ में होकर इशारा करके बताया कि बनवारी कंजर के मकान की उतरी दीवार की आड़ में चार व्यक्ति नाजायज कच्ची शराब बना रहे हैं और मुखबिर चला गया। हम लोगों ने देखा कि चार व्यक्ति कच्ची शराब बना रहे थे। एक व्यक्ति भट्ठी के पास बैठा पिपिया पकड़े था। दो व्यक्ति भट्टी में लकड़ी लगा रहा था तथा एक व्यक्ति भगोने से भरकर भट्ठी के उपर रखे बर्तन पर लहन डाल रहा था। चारों व्यक्ति शराब बना रहे थे। हमलोगों ने एकसाथ दबिश देकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके शराब बना रहे चारों व्यक्तियों को सुबह करीब 06.25 बजे पकड लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम संतोष पुत्र बच्चा, निवासी–नरायनपुर कंजड बस्ती थाना कोतवाली औरैया बताया, जामातलाशी से एक प्लास्टिक की पिपिया में करीब 10 लीटर सफेद रंग का द्रव्य भरा था बरामद हुआ। जिसे सूंघा तथा हमराहियों को सूंघाया तो कच्ची शराब की बू आ रही थी। दूसरे ने अपना नाम मुकेश पुत्र जगदेव निवासी–हाल पता पछँया थाना कोतवाली औरैया मूल निवास–ग्राम भोजपुर थाना कादरचौक, बदायूं बताया। जिसके हाथ में अधजली लकडी मिली, जिसे मौके पर बुझाकर नष्ट किया गया। तीसरे ने अपना नाम राहुल पुत्र बंशी सिंह निवासी पछ्या मुहाल, बनारसीदास थाना कोतवाली औरैया बताया जिसके हाथ से अधजली लकडी बरामद हुई जिसे मौके पर बुझाया गया। चौथे ने अपना नाम बालूजी पुत्र गंगा सिंह निवासी–पछ्या मुहाल बनारसीदास औरैया बताया। जिसके हाथ से एक भगोना में लहन मिला। लहन को एक खाली शीशी में भरकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर लिया गया, शेष लहन को विनष्ट किया गया। पास में रखे एक प्लास्टिक के डिब्बे में भी लहन भरा हुआ था उसे भी मौके पर विनष्ट किया गया। भट्ठी को पानी डालकर बुझाया गया। एक मिट्टी लगा अधमटकी जिसमें प्लास्टिक की नलकी लगी हुई है। एक पतीली एल्युमिनियम जिसमें पानी भरा हुआ है। एक भगोना जिससे भरकर लहन डाली जा रही थी। सभी उपकरणो को पुलिस कब्जे में लिया गया। बरामदशुदा कच्ची शराब में से एक प्लास्टिक की छोटी शीशी में कच्ची शराब लेकर सर्वमुहर किया गया तथा नमूना मुहर तैयार किया गया। शेष पिपियों में बची कच्ची शराब को उसी पिपिया में रखकर मुंह बांधकर सर्वमुहर नमूना मुहर तैयार किया गया। पकडें गये व्यक्तियों से शराब बनाने के संबंध में पूछा गया तो बताया गया कि हम लोग शराब बेचने का व्यापार करते हैं। इसमें तीव्रता लाने के लिये नशीली कीटनाशक दवायें मिलाकर बेंचते हैं। चारों अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुये उनके जुर्म से उन्हें अवगत कराते हुये उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया तथा गिरफतारी मेमो तैयार किया गया था। पत्रावली पर संलग्न का०सं० 7क/1 ता 7क/4 हैं इन पर अभियुक्तगण व एस०आई० मुस्लिम खां के हस्ताक्षर है जिसपर पूर्व में प्रदर्श क 1 ता 4 डाला जा चुका है। फर्द को मौके पर एस०आई० मुस्लिम खां के द्वारा तैयार कर पढ़ाई सुनाई गयी व हम लोगों के हस्ताक्षर कराये एवं मुल्जिमान के हस्ताक्षर व निशान अगूंठा लगवाये

गये थे। फर्द की एक नकल सभी मुल्जिमान की सहमति से मुल्जिम संतोष को दी गयी। पत्रावली पर कागज सं० 4क/4 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही फर्द बरामदगी है जो मौके पर एस०आई० मुस्लिम खां द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी। इसपर मेरे हस्ताक्षर है जिनकी मैं शिनाख्त करता हूं। इसपर पूर्व में ही प्रदर्श क 5 डाला जा चुका है। दिनांक 16.7.10 को मैं एसओजी प्रभारी मो० मुस्लिम खा के साथ मय हमराही CP के साथ टाटा स्कॉर्पियो से वहवाले रपट नंबर 10 थाना कोतवाली औरैया से रवाना हुआ था। न्यायालय के समक्ष एक पिपिया 10 लीटर सर्व मोहर देशी नाजायज शराब देखकर साक्षी ने कहा कि इसी पिपिया में मौके पर शराब बरामद हुई थी। सीलबंद पिपिया को खोला गया तो इसके अंदर देशी शराब देखकर कहा कि यही शराब मौके पर बरामद हुई थी। शराब पर **वस्तु प्रदर्श 1** तथा पिपिया पर वस्तु **प्रदर्श 2** डाला गया। पिपिया पर मौके पर चिटबंदी की गई थी जो काफी समय हो जाने पर निकल गई है। न्यायालय के समक्ष एक अदद भगौना देखकर साक्षी ने कहा कि इसी भगौने में लहन भरा हुआ था जिसमें से नमूना लहन लेकर शेष लहन नष्ट किया गया था। भगौने पर **वस्तु प्रदर्श 3** डाला गया। एक भगोना अधमटकी लगा हुआ जिसमें पाइप लगी थी को देखकर साक्षी ने कहा कि यही भगौना भट्टी पर चढ़ा था। भगौने पर **वस्तु प्रदर्श 4** तथा पाइप पर **वस्तु प्रदर्श 5** डाला गया। दो अदद पतीली एल्युमीनियम देखकर कहा कि यही पतीली मौके पर बरामद हुयी थी। इनपर **वस्तु प्रदर्श 6 व 7** डाला गया। एक अदद प्लास्टिक की सीसी देखकर साक्षी ने कहा कि इसी बोतल में नमूना शराब लिया गया था काफी समय हो जाने के कारण शराब निकल गई है। बोतल पर **वस्तु प्रदर्श 8** डाला गया। दूसरी बोतल देखकर साक्षी ने कहा कि इसमें लहन कब्जे में लेकर उसका मुंह कपड़े से सील किया गया था काफी समय हो जाने के कारण लहन कपड़े से रिसकर बाहर निकल गया है। लहन की बोतल पर **वस्तु प्रदर्श 9** डाला गया। मौके पर संपूर्ण कार्रवाई होने के उपरांत हम लोग बरामद माल तथा मुलजिमान को लेकर वापस थाना औरैया आए थे तथा एसआई मुस्लिम ख द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था विवेचक ने मेरे बयान लिए थे।

15. **साक्षी पी०डब्लू०–2 से एस०आई० सभाजीत पाण्डेय से बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि** " दिनांक 16.7.10 को सुबह 6.25 पर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। मुझे SI मुस्लिम खा एसओजी प्रभारी ने बुलाया था। उस समय मैं देवकली चौकी पर तैनात था। वहां चौकी पर मेरे साथ दो सिपाही भी तैनात थे। हम लोग मोटर साइकिल से एसओजी प्रभारी के पास गए थे। उन्होंने मुझे ना थाने बुलाया था और ना घटनास्थल पर बुलाया था। उन्होंने मुझे नारायणपुर रोड पर बुलाया था। फर्द मौके पर ही मेरे सामने बनाई गई थी। फर्द केवल एक ही बनाई गई थी। मुल्जिमान की तलाशी सभी ने ली थी। तलाशी में 10 लीटर कच्ची शराब

एल्युमिनियम भगोना लहन आदि बरामद हुआ था। हमने चूल्हे की राख का नमूना नहीं लिया था। माल मौके पर ही सील किया गया था। समय काफी हो जाने के कारण चिटबंदी निकल गई है। घटना की सूचना आरटी सेट से उच्च अधिकारियों को दी गई थी। आबकारी अधिनियम की परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है। यह कहना गलत है कि जो वस्तुएं बरामद हुई है वह मौके पर बरामद न हुई हो। मौके पर संपूर्ण कार्यवाही में एक डेढ़ घंटा लगा था। मौके से हम लोग डेड पौने दो घंटा बाद थाने लौट आए थे। थाने से घटनास्थल की दूरी एक डेढ़ किलोमीटर है। मुल्जिमान को सरकारी जीप से थाने लाए थे जब मैं SI मुस्लिम खा के पास पहुंचा था उस समय उनके साथ एक दीवान, दो कांस्टेबल तथा एक जीप ड्राइवर था और मेरे साथ दो कांस्टेबल थे। घटनास्थल आबादी क्षेत्र है वहां मकानात भी है। मैं जनता को गवाह बनाने का प्रयास किया था लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था। मुखबिर दूर से बताकर चला गया था। यह कहना गलत है कि मौके पर माल सील ना किया गया हो सारी कार्रवाई थाने पर बैठकर की गई हो।

16. **साक्षी पी०डब्लू० 3 सेवानिवृत्त एएसआई सिंहराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि** " दिनांक 16.07.2010 को मैं बतौर का० के पद पर थाना कोतवाली औरैया में कार्यरत था। उस दिन मु०अ०सं० 307/2010 धारा 60/63 EX Act व 272 भा०दं०सं० के वादी एस०आई० मोहम्मद मुस्लिम खां, SOG प्रभारी जनपद औरैया ने संतोष पुत्र बच्चन निवासी कंजड बस्ती नरायनपुर औरैया, मुकेश पुत्र जगदेव निवासी भोगनीपुर कादौर चौक बदांयू, हाल निवास मोहल्ला पछइयां बनारसीदास औरैया तथा बालू जी पुत्र गंगा सिंह निवासी मुहल्ला पछइयां बनारसीदास थाना कोतवाली, औरैया के विरूद्ध दी गयी फर्द बरामदगी व अन्य प्रपत्रों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–262/2010 किता करके मु०अ०सं० 307/2010 धारा 60/63 EX Act व 272 भा०दं०सं० मेरे द्वारा पंजीकृत किया गया था। जो पत्रावली पर मूल रूप से कागज संख्या–4क/1 शामिल है जो मेरे लेखव हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। इस पर **प्रदर्श क 5** डाला गया। मुकदमा उपरोक्त का खुलासा मेरे द्वारा जी०डी० की रपट सं० 35 समय 8.45AM दिनांक 16.07.2010 को किया गया था। जिसकी कार्बन कापी पत्रावली पर मूल रूप से कागज सं० 6क मेरे हाथ की लिखी हुयी है जो मूल के साथ मेरे द्वारा एक ही क्रम में तैयार की गयी थी। मूल जी०डी० समय अवधि पूर्ण हो जाने के कारण विनष्ट की जा चुकी है। जी०डी० विनष्ट हो जाने के संबंध में प्रमाण पत्र जो कागज सं० 40क दाखिल नकल रपट सं० 35 समय 8.45AM दिनांक 16.07.2010 को प्रमाणित करता हूं। अपने लेख की पुष्टि करता हूं। इस पर **प्रदर्श क 6** तथा जी०डी० निवष्ट प्रमाण पत्र पर **प्रदर्श क 7** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

17. **पी०डब्लू०–3 सेवानिवृत्त एएसआई सिंहराम से बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि** " मूल जी०डी० विनष्ट होने के कारण आज न्यायालय में नहीं लाया हूं। मुल्जिम को हवालात दाखिला से पहले मुल्जिम की जामातलाशी ली गयी तो जामातलाशी में कोई चीज निकली थी या नहीं जी०डी० न होने के कारण मैं नहीं बता सकता। अभियुक्त को एस०आई० मो० मुस्लिम खा ने दाखिला किया था। उस दिन कितने मुकदमे और दर्ज हुये, जीडी ना होने के कारण मैं नहीं बता सकता। मेरी ड्यूटी सुबह 6:00 से शाम 6:00 बजे तक थी। यह कहना गलत है कि थाने पर मुल्जिम को पहले से बैठा रखा हो तथा मैंने एसओ साहब के दबाव में मुल्जिम के विरुद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया हो। यह कहना गलत है कि समस्त लिखा पढ़ी थाने पर बैठकर की गई हो तथा फर्जी बरामदगी दिखाकर गलत मुकदमा पंजीकृत किया हो।

18. **साक्षी पी०डब्लू० 4 उपनिरीक्षक अमर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि** " दिनॉक–16.07.2010 को मैं जनपद औरैया में एसओजी टीम में तैनात था। उस दिन एसओजी प्रभारी एसआई मो० मुस्लिम खॉ के साथ मैं व कॉ० सुरेशचन्द्र, कॉ० रामबहादुर सरकारी टाटा स्पेसिओ से थाना कोतवाली औरैया से रपट नम्बर–10 पर वास्ते रोकथाम जुर्म–जरायम, रवाना होकर दीक्षित होम्योपैथिक, नरायनपुर के सामने पहुँचा वहाँ पर पूर्व से तलबीदा एसआई सभाजीत पाण्डेय मय कॉ० अजबेश कुमार, कॉ० पद्मकान्त तिवारी मिले उसी समय मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि चार व्यक्ति बनबारी कंजर के मकान के उत्तरी दीवाल की आड में तालाब के किनारे कच्ची शराब बना रहे हैं, उस पर विश्वास करके हमलोगों ने गवाह तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन भलाई–बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये, हम लोगों ने आपस में मय मुखबिर के जामा–तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है, हमलोग मुखबिर के साथ उसके बताये अनुसार सुरेशचन्द्र के मकान की आड में पहुँचे तो मुखबिर ने इशारा करके दिखाया व बताया तो बनबारी कंजड के मकान की उत्तरी दीवाल की आड में चार व्यक्ति नाजायज कच्ची शराब बना रहे थे। एक व्यक्ति भट्टी के पास बैठा पिपिया पकडे था। दूसरा व तीसरा व्यक्ति भट्टी में लकडी लगा रहा था। चौथा व्यक्ति पास में रखे भगौना से लहन भट्टी के उपर रखे वर्तन में डाल रहा था। मुखबिर बताकर चला गया। हमलोगों ने एकसाथ दबिश देकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके शराब बना रहे चारों व्यक्तियों को 06.25 बजे सुबह पकड लिया। नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम संतोष पुत्र बच्चा, निवासी–नरायनपुर कंजड बस्ती थाना कोतवाली औरैया बताया, उसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया जिसमें 10 लीटर सफेद दृव्य भरा था बरामद हुआ। सूंघा गया तो उसमें कच्ची

शराब की बदबू आ रही थी। दूसरे ने अपना नाम मुकेश पुत्र जगदेव निवासी–हाल पता पछँया थाना कोतवाली औरैया मूल निवास–ग्राम भोजपुर थाना कादरचौक, बदायूं बताया। जामातलाशी से दाहिने हाथ में अधजली लकडी लिये था, जिसे मौके पर बुझाकर नष्ट किया गया। तीसरे ने अपना नाम राहुल पुत्र बंशी सिंह निवासी पछ्या मुहाल, बनारसीदास थाना कोतवाली औरैया बताया जामा तलाशी से दाहिने हाथ से अधजली लकडी बरामद हुई जिसे मौके पर बुझाया गया। चौथे ने अपना नाम बालूजी पुत्र गंगा सिंह निवासी–पछ्या मुहाल बनारसीदास औरैया बताया जामा तलाशी से दाहिने हाथ से एक भगोना में लहन लिये हुये मिला, लहन को एक खाली शीशी में भरकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर लिया गया, शेष को मौके पर नष्ट किया गया जली हुई भट्टी को पानी डालकर बुझाया गया। एक मिट्टी लगा अधमटकी जिसमें प्लास्टिक की नलकी लगभग दो फीट लगी हुई है। एक बडा पतीला एल्युमिनियम जिसमें पानी भरा हुआ है, एक एल्युमिनियम का भगोना जिससे भरकर लहन डाली जा रही थी सभी उपकरणो को कब्जे में लिया गया बरामद कच्ची शराब से एक प्लास्टिक की छोटी शीशी में कच्ची शराब बत्तौर नमूना लेकर सर्वमुहर किया गया व नमूना लिया गया, शेष पिपियों में बची कच्ची शराब को उसी पिपिया के मुँह पर सफेद रंग का कपडा बांधकर सर्वमुहर नमूना मुहर तैयार किया गया। उपरोक्त पकडें गये व्यक्तियों को उनके इस सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होनें बताया कि हमलोग शराब बनाकर बेंचतें हैं, तथा तीव्रता बढानें के लिये इसमें नशीली कीटनाशक दवायें मिलाकर बेंचते हैं, बरामद शराब व उपकरण तथा अभियुक्तगण को हिरासत में लिया गया, उनको उनके जुर्म से अवगत कराते हुये दौरान गिरफतारी मानवाधिकार के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफतारी मेमो तैयार किया गया फर्द मौके पर लिखकर, पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर बनबाये गये अभियुक्तगण को फर्द की एक प्रति दी गयी। घटनास्थल से संपूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त मय माल मुल्जिम थाना कोतवाली औरैया आये और फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था यह फर्द बरामदगी पत्रावली में कागज संख्य 4क/4 के रूप में संलग्न है, जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क–5 पूर्व में डाला जा चुका है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।विवेचक जी०पी० त्रिपाठी, उपनिरीक्षक थाना कोतवाली औरैया में मेरे साथ तैनात रहें हैं, मैनें उन्हें लिखते पढते हस्ताक्षर बनाते देखा है, केस डायरी के पर्चा नम्बर–1 लगायत पर्चा नम्बर–5 एसआई जी० पी० त्रिपाठी के लेख व हस्ताक्षर में हैं, जिनकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ, पत्रावली में संलग्न नक्शा–नजरी कागज संख्या–10क एसआई जी० पी० त्रिपाठी के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ, जिसपर **प्रदर्श–क 7** डाला गया। पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र कागज संख्या–

3 क एसआई जी० पी० त्रिपाठी के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ, जिसपर **प्रदर्श–क 8** डाला गया।

19. पी०डब्लू०–4 उपनिरीक्षक अमर सिंह से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण श्री सुनील दुबे एवं श्री रवीन्द्र राजपूत की ओर से जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि " जब मुखबिर ने हमलोगों को सूचना दी तब मैं एसओजी प्रभारी के साथ मौजूद था। मुझे इस समय याद नहीं है कि मुखबिर ने किस जगह सूचना दी थी। मुखबिर ने हमलोगों को किस समय सूचना दी थी मुझे समय भी याद नहीं है। मुखबिर ने जो भी सूचना दी थी वहएसओजी प्रभारी को दी थी मुझे नहीं दी थी। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि एसओजी प्रभारी ने किस माध्यम से थाना पुलिस को बुलाया था। मुझे यह भी पता नहीं है कि थाना पुलिस कितने बजे घटनास्थल पर आयी थी। जब मुखबिर ने एसओजी प्रभारी को सूचना दी तब कुछ लोग गाडी पर बैठे थे और कुछ लोग गाडी से दूर खडे थे। गिरफतारी मेमो कहाँ पर तैयार किया गया यह मुझे जानकारी नहीं है हमलोग गिरफतारी में लगे हुये थे और कागजी कार्यवाही प्रभारी जी कर रहे थे। मुखबिर ने प्रभारी को सूचना दी थी उनके द्वारा सूचना मेमो तैयार किया गया या नहीं यह तो वही बता सकते हैं। घटनास्थल पर हमलोगों को लगभग 15–20 मिनट का समय लगा था। मुझे इतना याद नहीं है कि बनबारी कंजड के मकान का दरवाजा किस तरफ था चौदह बर्ष का समय हो गया है। मुखबिर सूचना देकर तुरन्त चला गया था। घटनास्थल के पास से ही मुखबिर ने हमलोगों को सूचना दी थी। घटनास्थल पर हमलोग किस दिशा से पहुँचे थे यह मुझे याद नहीं है। लहन का सैम्पल प्लास्टिक की शीशी में घटनास्थल पर ही लिया गया था। मुझे यह याद नहीं है कि जिस शीशी में सैम्पल लिया गया था वह कितने लीटर की है। जिस शीशी में सैम्पल लिया गया था वह शीशी किसने मंगायी थी यह मुझे याद नहीं है। अभियुक्तगण से घटनास्थल पर ही पूछताछ की गयी थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों को दिनॉक 15.07.2010 को ही शाम थाने में बैठा लिया गया हो और उनपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया हो। यह कहना गलत है कि मुकदमें की सारी लिखा पढी थाने पर ही की गयी हो।

20. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की विस्तृत बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

21. अभियुक्तगण पर धारा 60/63 आबकारी अधिनियम तथा धारा 272 भा०दं०सं० का आरोप है, जिसके लिए अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्तगण के द्वारा अवैध शराब का निमार्ण बिना वैध लाइसेंस के किया जा रहा था तथा अवैध शराब को वे विक्री हेतु अपने कब्जे में रखे हुये थे। धारा

272 भा०दं०सं० के अपराध के लिए यह साबित करना है कि किसी खाद्य या पेय पदार्थ में अभियुक्तगण के द्वारा जानबूझकर मिलावट की गयी है। जिससे वह खाद्य या पेय पदार्थ हानिकारक (अपायकर) हो जायेगा।

22. अभियोजन की ओर से अपने तर्कों में कहा गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त आरोपों को साबित करने हेतु कुल 4 मौखिक साक्ष्य परीक्षित कराये गये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को भी संदेह से परे साबित कराया गया है। जिससे अभियुक्तगण के ऊपर आरोप अंतगर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम तथा धारा 272 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित है तथा अभियुक्तगण दोषसिद्ध होने योग्य है।

23. जबकि बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण को इस मामले में पुलिस के द्वारा झूठा फंसाया गया है। अभियोजन के द्वारा थाने से जीडी रवानगी साबित नहीं करायी गयी है। अभियुक्तगण के कब्जे से जो अपमिश्रित शराब कब्जे में ली गयी बतायी है, उसकी परीक्षण आख्या साबित नहीं करायी गयी है। पब्लिक का कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं है, न ही जिस बनवारी कंजड के मकान की उत्तरी दीवार के पास से गिरफ्तारी दिखायी गयी है, उसे परीक्षित कराया गया है। जबकि घटनास्थल पर अन्य लोगों के मकान व आवाजाही बतायी गयी है। इस मामले के विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे नक्शा नजरी तथा अन्य आवश्यक तथ्यों के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकती थी। परंतु, बचाव पक्ष को यह अवसर नहीं मिला। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया कि बिक्री के लिए अपमिश्रित शराब अभियुक्तगण कहां ले जाते थे या ले जा रहे थे। अभियोजन के गवाह पीडब्लू–1 व पीडब्लू 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष के प्रश्नों का जवाब या तो याद नहीं है या जानकारी नहीं है, कहकर टाला है। तथा गवाहों के बयानों में काफी तात्विक विरोधाभास है और अभियोजन अपना कथानक संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः ऐसे में अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जान योग्य है।

24. **थाने से घटनास्थल तक जाने हुते जी.डी. रवानगी को साबित न किये जाने के संबंध में–**

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 16.07.2010 को लिखित फर्द इस आशय की दी है कि "आज दिनांक 16.07.2010 को मैं SOG प्रभारी ऽ। मो० मुस्लिम खां मय HC19DP अमर सिंह, C–328 सुरेश चन्द्र C–150 रामबहादुर मय वाहन सरकारी टाटा स्पेसिओ नं० UP 79 G 0002 के थाना कोतवाली औरैया से रपट नं० 10 पर वास्ते रोकथाम जुर्मजरायम के रवाना होकर दीक्षित होम्योपैथिक नारायनपुर के सामने पहुंचे। यहां पूर्व में हस्वतलब एसआई सभाजीत पाण्डेय, C 471 अजबेश कुमार, C 282 पदमकांत तिवारी मिले।

मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि चार व्यक्ति बनवारी कंजर के मकान की उत्तरी दीवार की आड़ में तालाब के किनारे बच्ची शराब बना रहे हैं, इस पर विश्वास करके हम पुलिस वालों ने गवाहन फराहम करने का प्रयास किया, परंतु भलाई बुराई के डर से जनता का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताएं चले गए। मजबूरीवश हम पुलिस वालों ने आपस में मैं मुखबिर के जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। हम पुलिस वालों में मुखबिर के साथ मुखबिर के बताए अनुसार सुरेश चंद्र के मकान की आड़ में पहुंचे। मुखबिर ने हम पुलिस वालों को इशारा करके दिखाया व बताया तो बनवारी कंजर के मकान की उतरी दीवार की आड़ में चार व्यक्ति नाजायज कच्ची शराब बना रहे थे। जिसमें एक व्यक्ति के पास बैठा पिपिया पकड़े था। दूसरा व्यक्ति व तीसरा व्यक्ति भट्टी में लकड़ी लगा रहा था। चौथा व्यक्ति पास रखे भगोने से लहन भट्टी के ऊपर रखे बर्तन में लहन डाल रहा था। चारों मिलकर शराब खींच रहे थे। मुखबिर दिखाकर चला गया। हम पुलिस वालों ने एक बारगी दबिश देकर घेरघार कर आवश्यक बल प्रयोग कर शराब खींच रहे उन चारों व्यक्तियों को समय 6:25 बजे सुबह पकड़ लिया। उन व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुये जामातलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम संतोष संतोष पुत्र बच्चा, निवासी–नरायनपुर कंजड बस्ती थाना कोतवाली औरैया बताया, जामातलाशी से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर सफेद द्रव्य भरा बरामद हुआ। सूंघा व हमराहियान को सुघांया गया तो उसमें कच्ची शराब की बदबू आ रही थी। दूसरे ने अपना नाम मुकेश पुत्र जगदेव निवासी–हाल पता पछ्या थाना कोतवाली औरैया मूल निवास–ग्राम भोजपुर थाना कादरचौक, बदायूं बताया। जामातलाशी से दाहिने हाथ में अधजली लकडी लिये था, जिसे मौके पर बुझाकर नष्ट किया गया। तीसरे ने अपना नाम राहुल पुत्र बंशी सिंह निवासी पछ्या मुहाल, मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली औरैया बताया। जामा तलाशी से दाहिने हाथ से अधजली लकडी बरामद हुई जिसे मौके पर बुझाया गया। चौथे ने अपना नाम बालूजी पुत्र गंगा सिंह निवासी–पछ्या मुहाल बनारसीदास औरैया बताया। जामातलाशी से दाहिने हाथ से एक भगोना में लहन लिये हुये मिला, लहन को खाली शीशी में भरकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर लिया गया, शेष लहन को मौके पर नष्ट किया गया। पास रखे प्लास्टिक के डिब्बे में लहन थी। जिसको भी मौके पर नष्ट किया गया। जलती हुयी भट्टी में पानी डालकर बुझाया गया। एक मिट्टी लगा अधमटकी जिसमें प्लास्टिक की नलकी लगभग 2 फीट लगी हुयी है एवं बड़ा पतीला एल्युमीनियम का जिसमें पानी भरा है। एल्यूमिनियम का भगोना उपरोक्त जिसमें भरकर लहन डाली जा रही थी। सभी उपकरणो को कब्जे पुलिस में लिया गया। बरामद कच्ची शराब से एक प्लास्टिक की छोटी शीशी में कच्ची शराब बत्तौर नमूना लेकर सर्वमुहर किया तथा नमूना मुहर लिया गया। शेष पिपियों में बची कच्ची शराब को उसी पिपिया के मुँह पर सफेद रंग का कपडा बांधकर सर्वमुहर नमूना मुहर तैयार किया गया।

उपरोक्त पकडें गये व्यक्तियों को उनके इस काम के सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होनें बताया कि हमलोग शराब बनाकर बेंचतें हैं, तथा तीव्रता लाने के लिये इसमें नशीली कीटनाशक दवायें डालकर बेंचते हैं। बरामद शराब व उपकरण तथा अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लिया गया। उनको उनके जुर्म से अवगत कराया गया कि तुम्हारा यह जुर्म धारा 60/63 Ex Act व 272 भा०दं०सं० की हद को पहुंचता है। दौरान गिरफतारी मानवाधिकार के आदेशों व निर्देशों एव माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफतारी मेमो तैयार किया गया। फर्द मौके पर मुझ एस०आई० ने लिखकर, पढकर, हमराहियान को सुनाकर हस्ताक्षर बनबाये जा रहे हैं। अभियुक्तगण को फर्द की एक प्रति अभियुक्तो की रजामंदी से अभियुक्त संतोष को दी गयी। गिरफ्तारी की सूचना में पहुंचकर अभियुक्तों के बताएनुसार उनके सम्बन्धियों को भिजवाई गयी।

25. अभियोजन की ओर से इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क 5 तथा जी.डी. प्रदर्श क 6 व जी.डी. विनिष्टी प्रमाण पत्र को प्रदर्श क 7 के रूप मे पीडब्लू–3 सेवानिवृत्त ए.एस.आई सिंहराम के द्वारा साबित किया गया है। जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि दिनांक 16.07.2010 को मैं बतौर का० के पद पर थाना कोतवाली औरैया में कार्यरत था। उस दिन मु०अ०सं० 307/2010 धारा 60/63 EX Act व 272 भा०दं०सं० के वादी एस०आई० मोहम्मद मुस्लिम खां, SOG प्रभारी जनपद औरैया ने संतोष पुत्र बच्च्न निवासी कंजड बस्ती नरायनपुर औरैया, मुकेश पुत्र जगदेव निवासी भोगनीपुर कादौर चौक बदांयू, हाल निवास मोहल्ला पछइयां बनारसीदास औरैया तथा बालू जी पुत्र गंगा सिंह निवासी मुहल्ला पछइयां बनारसीदास थाना कोतवाली, औरैया के विरूद्व दी गयी। फर्द बरामदगी व अन्य प्रपत्रों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–262/2010 किता करके मु०अ०सं० 307/2010 धारा 60/63 EX Act व 272 भा०दं०सं० मेरे द्वारा पंजीकृत किया गया था। जो पत्रावली पर मूल रूप से कागज संख्या–4 क/1 शामिल है जो मेरे लेखव हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। इस पर **प्रदर्श क 5** डाला गया। मुकदमा उपरोक्त का खुलासा मेरे द्वारा जी०डी० की रपट सं० 35 समय 8.45AM दिनांक 16.07.2010 को किया गया था। जिसकी कार्बन कापी पत्रावली पर मूल रूप से कागज सं० 6 क मेरे हाथ की लिखी हुयी है जो मूल के साथ मेरे द्वारा एक ही क्रम में तैयार की गयी थी। मूल जी०डी० समय अवधि पूर्ण हो जाने के कारण विनष्ट की जा चुकी है। जी०डी० विनष्ट हो जाने के संबंध में प्रमाण पत्र जो कागज सं० 40 क दाखिल नकल रपट सं० 35 समय 8.45AM दिनांक 16.07.2010 को प्रमाणित करता हूं। अपने लेख की पुष्टि करता हूं। इस पर **प्रदर्श क 6** तथा जी०डी० निवष्ट प्रमाण पत्र पर **प्रदर्श क 7** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। **इ**स गवाह के द्वारा किये गये

बयानों से यह साबित है कि अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने के बाद थाने पर रपट सं० 35 से दाखिला तो दर्शित किया गया है और उसके संबंध में भी मूल जी.डी. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है बल्कि जीडी के विनिष्ट हो जाने के संबध में एक प्रमाणपत्र कागज सं० 40क प्रस्तुत किया गया जिसे प्रदर्श क 7 के रूप में साबित किया है, परंतु, पुलिस पार्टी के द्वारा घटना के दिन थाने से जो रवानगी जीडी संख्या 10 से दिखायी गयी है वह जीडी पत्रावली पर अभियोजन प्रस्तुत नहीं कर पाया है और इस गवाह के द्वारा यह बयान किया गया कि उस दिन और कितने मुकदमे दर्ज हुये थे जीडी न होने के कारण मैं नहीं बता सकता। मुल्जिम को हवालात में दाखिल करने से पहले जामातलाशी ली गयी और जामातलाशी में कोई चीज निकली या नही, यह भी जीडी न होने के कारण मैं नहीं बता सकता। अतः स्पष्ट है कि पुलिस पार्टी के दिनांक 16.07.2010 को थाने से रवानगी रपट सं० 10 अभियोजन की ओर से साबित नहीं करायी गयी है। जोकि अभियोजन के कथानक पर संदेह उत्पन्न करता है कि थाने पर पुलिस पार्टी उस दिन मौके पर रवाना हुयी थी या नहीं।

26. अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद की गयी 10 लीटर शराब का अपमिश्रित व मानव के लिए अपायकर या हानिकर होना सिद्ध होने के संबंध में–

अभियोजन कथानक के अनुसार जब पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्तगण को बनवारी कंजड के मकान के पास से पकडा गया, तब उनके कब्जे से पीपी में 10 लीटर मिश्रित शराब तथा लहन पकडा गया तथा जिसका नमूना कच्ची शराब के तौर पर शीशी में लिया गया तथा मौके से भगौना, दो अदद पतीली एल्युमीनिम, एक प्लास्टिक की बोतल व एक लहन की बोतल को बरामद किया गया था। परंतु पकडी गयी कच्ची शराब के संबंध में कि वह कितनी अपमिश्रित मात्रा की थी और उसमें कितना प्रतिशत क्या अवयव मिला हुआ था, के संबंध मं कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या अभियोजन की ओर से साबित नहीं करायी गयी है। यहां उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर एक जांच रिपोर्ट प्रपत्र 8क, जो किसी आबकारी निरीक्षक वीके शर्मा द्वारा 21.07.2010 को जारी की गयी है, उपलब्ध है। परंतु, इस जांच आख्या को अभियोजन की ओर से साबित नहीं कराया गया है। ऐसे में यह जांच आख्या प्रपत्र 8क साक्ष्य में ग्राहय नहीं है और इस मामले में अभियोजन की कोई सहायता नहीं करती है। ऐसे में जहां कथित अपमिश्रित शराब अभियुक्तगण से बरामद होना बताया गया है, वहां उस मिश्रित शराब के बारे में विशेषज्ञ रिपोर्ट में होना आवश्यक है, जिससे यह समाधान हो पाता कि पकडी गयी कथित मिश्रित शराब में कितना प्रतिशत क्या अवयव उपस्थित है, उसकी कितनी सघनताएं व तीव्रताएं हैं तथा वह मानव जीवन के लिए अपायकर या हानिकार है भी या नहीं। चूंकि इस संबंध में, मिश्रित शराब की विशेषज्ञ रिपोर्ट के अभाव में, न्यायालय का यह समाधान नहीं हो रहा है कि

मिश्रित पकडी गयी शराब मानव जीवन के लिए अपायकर या हानिकारक है। अतः धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० का आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित नही हो रहा है।

27. अभियुक्तगण से मिश्रित शराब तथा उसे बनाने के उपकरण बरामद होने का जनसाक्षी न होने के संबंध में–

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण से घटना के दिन, स्थान व समय पर कच्ची शराब तथा उस शराब को बनाये जाने हेतु प्रयोग में लाये उपकरण को बरामद किया गया। परंतु, यहा यह उल्लेखनीय है कि इस बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र साक्षी अभियोजन की ओर से इन तथ्यों की संपुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28. पत्रावली अवलोकन से यह उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी एस.आई. मो० मुस्लिम खां के द्वारा अपनी फर्द में तथा न्यायालय के समक्ष किये गये बयानों में यह कथन किया है कि जब मुखबिर खास से उन्हें अभियुक्तगण के कृत्य की जानकारी मिल गयी, तब उनके द्वारा गवाहान फराहम करने का प्रयास किया, परंतु भलाई बुराई के डर से जनता का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताये चले गये। इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं स्वीकारा है कि बनवारी कंजड के मकान के आसपास और भी मकान बने हैं। पीडब्लू–2 सभाजीत पाण्डेय के द्वारा भी यह बयान किया है कि घटनास्थल आबादी क्षेत्र है व वहां मकानात भी हैं। जनता को गवाह बनाने का प्रयास किया था लेकिन भलाई बुराई के काराण कोई भी तैयार नहीं हुआ। अतः इन गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि घटनास्थल के आसपास आबादी क्षेत्र है। घटना का दिन जुलाई माह का है और घटना सबेरे 6.15 बजे की दर्शायी गयी है। उत्तर भारत में इस समय गर्मी का मौसम होता है। इस समय सूर्य का पूरा प्रकाश हो चुका होता है तथा आबादी होने के कारण अवश्य ही अन्य लोग भी मौके पर रहे होंगे। परंतु, पुलिस पार्टी के द्वारा इस मामले में किसी जनसाक्षी को परीक्षित कराने का प्रयास नहीं किया गया है,जिससे पुलिस पार्टी के कथानक की संपुष्टि नहीं हो रही है तथा अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।

29. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध मे–

अभियोजन की ओर से इस मामले में चार गवाह परीक्षित कराये गये हैं, जिनमे पीडब्लू 1 एस.आई. मुस्लिम खां जो मामले का वादी रहा है। पीडब्लू–2 सभाजीत पाण्डेय पुलिस पार्टी में हमराही बताया गया। पीडब्लू–3 ए.एस.आई सिंहराम के द्वारा इस मामले की एफ.आइ.आर. व जी.डी. किता की गयी है। पीडबजू–4 उपनिरीक्षक अमर सिंह है जोकि पुलिस पार्टी का हमराही रहा है

तथा इस गवाह के द्वारा इस मामले के विवेचक रहे जी.पी. त्रिपाठी की ओर से प्रस्तुत नक्शा नजरी व आरोप पत्र को प्रदर्श क 7 व 8 के रूप में द्वितीय साक्षी के रूप में साबित किया गया हैं। परंतु, यहां उल्लेखनीय है इस साक्षी के द्वारा विवेचक जी.पी. त्रिपाठी के द्वारा किता की गयी नक्शा नजरी व आरोप पत्र को क्यों साबित किया गया है, वह स्पष्ट नहीं किया है। अभियोजन जीपी त्रिपाठी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं कर पाया, इसका कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। यदि इस मामले के विवेचक जीपी त्रिपाठी को न्यायालय मे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो अवश्य ही बचाव पक्ष को घटनास्थल के संबंध मे बनाये गये नक्शा नजरी पर जिरह करने का अवसर मिलता। इस मामले के विवेचक को बिना स्पष्टीकरण के न्यायालय में परीक्षित न कराया जाना तथा उसके द्वारा किता की गयी नक्शा नजरी व आरोप पत्र को द्वितीय साक्षी के द्वारा साबित कराये जाने से बचाव पक्ष का अवसर समाप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पीडब्लू–1 मुस्लिम खां जोकि इस मामले का वादी है तथा पीडब्लू–4 अमर सिंह जो पुलिस पार्टी में हमराही रहा, के द्वारा प्रतिपरीक्षा से गुजरने पर हरेक प्रश्न का जवाब मुझे याद नहीं है, मुझे मालूम नहीं है या मुझे जानकारी नहीं है, कहते हुये दिया है। और ऐसा जवाब देना यह दर्शाता है कि इन गवाहों के द्वारा जो मुख्य परीक्षा में कथन किया है वह सही नही हैं और मुख्य परीक्षा में किये गये बयानो पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त विश्लेषण से न्यायालय के मत में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं है, जिनके आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि किया जाना संभव नहीं है।

30. अभियुक्तगण की संस्वीकृति व धारा 24 व 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में–

अभियोजन कथानक के अनुसार जब अभियुक्तगण को मौके से अवैध शराब व उपकरणों सहित पकडा गया, तब पुलिस पार्टी के द्वारा अभियुक्तगण से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग शराब बेचने का व्यापार करते हैं तथा इसमे तीव्रता लाने के लिए नशीली कीटनाशक दवाएं मिलाकर बेचते हैं।

31. अभियोजन के उक्त कथन के संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि ऐसे में जब अभियुक्तगण पुलिस की अभिरक्षा में हैं, तब उनके द्वारा किसी भी प्रकार की संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 व 25 में संधारणीय नहीं है व साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।

32. दोनों ओर से प्रस्तुत विपरीत तर्कों के संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि ऐसी कोई संस्वीकृति अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में की भी गयी है, तब वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 व 25 में संधारणीय

नहीं तथा साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। उक्त के अलावा शराब अभियुक्तगण के द्वारा किसे बेची जा रही थी या किसे भविष्य में वे बेचने जा रहे थे, के संबंध में कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक नशीली कीटनाशक दवाओं का अपमिश्रण किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से अपमिश्रण किये हुये बरामद पदार्थ का कोई वैज्ञानिक परीक्षण आख्या न्यायालय के समक्ष साबित नही करायी गयी है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क से यह न्यायालय समहत है कि पुलिस के समक्ष उनकी अभिरक्षा की गयी कोई भी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

33. अतः अब तक के उपरोक्त विश्लेषण से अभियोजन, पुलिस पार्टी के थाने से घटनास्थल की रवानगी साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण के कब्जे से जो अपमिश्रित शराब पकड़ी गयी उसका कोई वैज्ञानिक परीक्षण आख्या भी प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह साबित हो सकता कि वह अपमिश्रित कब्जे में ली गयी शराब मानव जीवन के लिए अपायकर या हानिकारक हो। पूरे घटनाक्रम में मात्र पुलिस पार्टी अभियोजन की ओर से साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराये गये हैं, जिनमे पीडब्लू–1 तथा पीडब्लू–4 के द्वारा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षा में किये गये प्रश्नों को ध्यान नहीं है, याद नहीं है या जानकारी नहीं है, कहकर टाला गया है। अतः इन दोनों साक्षियों का बयान विश्वसनीय नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का कोई भी जनसाक्षी प्रस्तुत करने में अभियोजन असफल रहा है। मात्र पुलिस पार्टी के समक्ष अभिरक्षा में मिश्रित शराब को बनाना, अपने कब्जे में रखना व बेचने का कथन करना अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। अत उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय के विचार में अभियोजन अपना पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

(A) अभियुक्तगण **मुकेश, राहुल** को सत्र परीक्षण संख्या 117/2014, मुकदमा अपराध संख्या 307/2010, थाना औरैया, जिला औरैया में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–**60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं०** से दोषमुक्त किया जाता है।

(B) अभियुक्तगण जमानत पर हैं तथा आज न्यायालय में अभियुक्त **मुकेश** उपस्थित है। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूओं को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(D)अभियुक्त **राहुल** आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। परंतु, उसके अधिवक्ता उपस्थित है, उनकी ओर से अभियुक्त राहुल का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वह धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में मुबलिग 20,000/- रूपये (रूपये बीस हजार) का निजी बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू अन्दर सात दिन दाखिल करने पर अभियुक्त **राहुल** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा प्रतिभूपत्रों को निरस्त कर प्रतिभुओं को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जायेगा।

(E) अभियुक्त **मुकेश** द्वारा धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है, जो छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक 22.07.2026

(कैलाश कुमार)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीक्ष,
कक्ष संख्या-02, औरैया।
J.O. Code- UP 1684

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 22.07.2026

(कैलाश कुमार)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीक्ष,
कक्ष संख्या-02, औरैया।
J.O. Code- UP 1684